



# कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक 1536/जि.पं./NRLM/HR&T/2018

राजनांदगांव, दिनांक 31/9/2018

दिनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत छ.ग. ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति "बिहान" के तहत लेखा सह एम.आई.एस. सहायक के पद पर निम्नलिखित उम्मीदवार की संविदा नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन की जाती है-

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	पदस्थापना हेतु विकासखण्ड
1	विवेक शर्मा	श्री नंद किशोर शर्मा	कामठी लाईन, शनि मंदिर वार्ड नं. 25, राजनांदगांव (छ.ग.)	अनारक्षित (मुक्त)	छुरिया
2	दुर्गा प्रसाद यादव	श्री गोविंद राम यादव	ग्राम नुनियाकछार पोष्ट खैरवार तहसील व जिला मुंगेली (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त)	छुईखदान

प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति हेतु आरक्षण नियम का पालन किया गया है।

नियम एवं शर्तें :-

1. आप आपनी उपस्थिति जिला पंचायत, राजनांदगांव में दिनांक 10/09/2018 तक सुनिश्चित करें। उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण-पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, मूल प्रति के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
3. आपकी पदस्थापना उपरोक्त तालिका में विवरण अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" जिला पंचायत, राजनांदगांव के अंतर्गत विकासखण्ड में की जाती है।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आपके प्रतिवेदक अधिकारी होंगे।
5. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है।
6. आपको प्रतिमाह संविदा राशि के रूप में एकमुश्त 16,445.00/- (सोलह हजार चार सौ पैतालिस रुपये मात्र) देय होगा।
7. संविदा नियुक्ति मार्च 2019 तक के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद पाए जाने एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढ़ाई जावेगी।
8. सेवा में उपस्थिति के दौरान आपको प्रशिक्षण सत्र में भाग लेना होगा।
9. प्रारंभ में आपकी नियुक्ति 3 माह की परिविक्षा अवधि पर होगी। आपका कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर आपकी सेवा अवधि आगे बढ़ाई जावेगी। परिविक्षा अवधि में आपका कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर संस्था द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन अभयपक्ष द्वारा 7 दिवस की पूर्व सूचना पर आपकी संविदा समाप्त की जा सकेगी।
10. संस्था द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह की संविदा राशि का भुगतान करते हुए संविदा समाप्त की जा सकेगी।
11. एक कलेण्डर वर्ष में 18 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिवस का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा। यह अवकाश अधिकार के रूप में नहीं होगा। सक्षम अधिकारी के मद्देनजर किसी भी क्षण अवकाश स्थगित एवं निरस्त करते हुए सेवा पर उपस्थित होने हेतु आदेशित किया जा सकता है।



# कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

/ 02 /

12. संविदा नियुक्ति की अवधि में आप किसी भी चुनाव या व्यवसाय में भाग नहीं ले सकेंगे। आप बिहान कार्यक्रम अंतर्गत अपने सक्षम अधिकारी के बिना सहमति के अन्य किसी स्रोतों से भेंट, पारिश्रमिक एवं अन्य हित/लाभ ग्रहण नहीं कर सकेंगे।
13. संविदा नियुक्ति के दौरान बिहान परियोजना अंतर्गत आपके द्वारा अपने सभी कार्यों का निर्वहन किया जाना है।
14. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
15. आपको छ.ग. ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति "बिहान" द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए अन्य सुविधाएं, कर्मचारी भविष्य निधि, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की पात्रता होगी। किसी भिन्न प्रकृति के व्यय का भुगतान/प्रतिपूर्ति संस्था द्वारा नहीं किया जावेगा।
16. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
17. बिहान में संविदा अवधि के दौरान एवं इसके पश्चात भी आपके द्वारा बिहान में कार्य संपादन से अर्जित कोई भी सूचना/ज्ञान का संचारन सक्षम अधिकारी के बिना सहमति के अन्य संस्थाओं को नहीं किया जा सकेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्र. 4539 / जि.पं. / NRLM / HR&T / 2018 राजनांदगांव, दिनांक 31 / 7 / 2018  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक, छ.ग.रा.ग्रा.आ.मि. इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ।
5. मुख्य चिकिस्त्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं शारीरिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत छुईखदान एवं छुरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. स्टेनो-टू-सी.ई.ओ. जिला पंचायत राजनांदगांव को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत राजनांदगांव (छ.ग.)